रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940
No. 666] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 902(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के सम्बन्ध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इस नियम का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में-

नियम 10 में, उप-नियम (1 क) में, "दो वर्ष" शब्द के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I (खंड- V)]

डॉ. बी राजेंदर, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम सा.का.नि. 1650 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2018

G.S.R. 902(E).—The following draft rule further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days shall be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULE

1. Short title and commencement. — (1) This rule may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971.—

In rule 10, in sub-rule (1A), for the word "two years" the word "three years" shall be substituted.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol. v)]

Dr. B. RAJENDER, Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) *Vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and last amended *vide* G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.09.22 14:28:33 +05'30'